

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक:- 2/पी०एम०सी०/कार्य-809/2020-28/26-2150/राँची, दिनांक 09-03-21

आंतरिक वित्तीय
सलाहकार से
औपचारिक रूप
से परामर्शित

प्रेषक,
प्रशांत कुमार
सरकार सचिव।

सेवा में,
महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०-हिनू, राँची।

द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :- तेनुघाट जलाशय योजना के स्पीलवे के उपर निर्मित रेलिंग (Railing) के पुनरुद्धार एवं बाँध के Jungle Clearance हेतु रु० 35.88917 लाख (रुपये पैंतीस लाख अठ्ठासी हजार नौ सौ सत्रह) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।

आदेश-स्वीकृत।

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग के प्रक्षेत्राधीन बोकारो जिलान्तर्गत तेनुघाट जलाशय योजना के स्पीलवे के उपर निर्मित रेलिंग (Railing) के पुनरुद्धार एवं बाँध के Jungle Clearance हेतु रु० 35.88917 लाख (रुपये पैंतीस लाख अठ्ठासी हजार नौ सौ सत्रह) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तेनुघाट जलाशय के Spillway भाग में निर्मित RCC Railing पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस Railing के तीनों पैनल भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे डैम के उपर आवागमन असुरक्षित हो गया है तथा दुर्घटना की आशंका रहती है। अतः यह कार्य कराना आवश्यक है।

3. इस कार्य के अन्तर्गत (i) सुरक्षा हेतु Railing का प्रावधान करते हुए Spillway पर दो अदद Gate का प्रावधान किया गया है एवं (ii) तेनुघाट डैम के चेन सं०- 13 से 213 तक Embankment पर उग आये जंगल-झाड़ी की सफाई हेतु "Jungle Clearance" का प्रावधान है।

4. कराये जाने वाले कार्य का अवयववार विवरण निम्नवत् है -

क्र०	अवयव	प्राक्कलित राशि
1	Renovation work of Railing at spillway of Tenughat Dam, Tenughat	24,96,935.00
2	Jungle clearance at embankment of Tenughat Dam from Chain 13.00 to 213.00	9,68,697.00
3	Grill gate on Dam Top Road at both ends of spillway of Tenughat Dam	1,23,285.00
	कुल योग -	35,88,917.00

5. यह कार्य वर्ष 2020-21 में प्रारम्भ कर एक वर्ष की अवधि में वर्ष 2021-22 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।
6. इस कार्य के नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, तेनुघाट बाँध प्रमण्डल, तेनुघाट होंगे।
7. प्रस्तावित कार्य के लिये राशि की निकासी तेनुघाट उप कोषागार, तेनुघाट, बोकारो से की जायेगी।
8. इस कार्य पर होने वाला व्यय—
(i) मुख्य शीर्ष 4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप— मुख्य शीर्ष 80 सामान्य, लघु शीर्ष —001— निदेशन तथा प्रशासन, उपशीर्ष 46— सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन, विस्तृत शीर्ष— 05— निर्माण, 45— निर्माण कार्य, के अन्तर्गत प्रावधानित बजटीय राशि के अधीन विकलनीय होगा।
9. जल संसाधन विभाग के लिये वर्ष 2020-21 के बजट में
(i) शीर्ष — 49S-4701-80-001-46-05-45 अन्तर्गत रु० 563.00 लाख का एकमुश्त प्रावधान है।
10. इस कार्य के कार्यान्वयन के पूर्व मरम्मत/पुनर्स्थापन कार्य के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निर्देश का अनुपालन सक्षम तकनीकी पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायगा।
11. कार्य के प्राक्कलन एवं प्रमुख अवयवों की जानकारी प्रमण्डलीय आयुक्त को उपलब्ध करा दी जायेगी।
12. प्रस्ताव पर सचिव, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।
13. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।
14. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जायगा।
15. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
16. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०—हिन्, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(प्रशांत कुमार)
सरकार के सचिव

पत्रांक:- 2/पी०एम०सी०/कार्य-809/2020-28/20-21 506/राँची, दिनांक 09-03-21

प्रतिलिपि :- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को प्रेषण हेतु/योजना -सह- वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अशोक कुमार दास)

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक:- 2/पी०एम०सी०/कार्य-809/2020-28/20-21 506/राँची, दिनांक 09-03-21

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, तेनुघाट उप कोषागार, तेनुघाट, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अशोक कुमार दास)

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक:- 2/पी०एम०सी०/कार्य-809/2020-28/20-21 506/राँची, दिनांक 09-03-21

प्रतिलिपि :- सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-1, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनितरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनितरिंग अंचल-2, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, तेनुघाट बॉध अंचल, तेनुघाट/कार्यपालक अभियंता, तेनुघाट बॉध प्रमण्डल, तेनुघाट/ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनितरिंग प्र०-3, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अशोक कुमार दास)

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक:- 2/पी०एम०सी०/कार्य-809/2020-28/20-21 506/राँची, दिनांक 09-03-21

प्रतिलिपि :- आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायक को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

(अशोक कुमार दास)

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक:- 2/पी०एम०सी०/कार्य-809/2020-28/20-21 506/राँची, दिनांक 09-03-21

प्रतिलिपि :- मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(अशोक कुमार दास)

सरकार के संयुक्त सचिव